राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ.1(ए)09 / पार्ट–4 / संस्था / बीमा / 2023 / दिनांक : 09-10-2023

–:आदेशः– 243

इस विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठयक्रम / परीक्षा में सम्मिलित होने / बैठने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं	नाम कर्मचारी श्री / श्रीमती / सुश्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पाठयक्रम / परीक्षा जिसकी अनुमति चाही गयी है
1.	सुनीता देवी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	मुख्यालय, जयपुर	सुरेश ज्ञान बिहार विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर द्वारा आयोजित बी.ए. FIRST YEAR Exam.(स्वयंपाठी), 2023–24

उपर्युक्त अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा रही है :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमति अलग–अलग लेना आवश्यक है।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापित रहने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर सरकार / विभाग की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
10. अध्ययन की स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासनिक कारणवश समाप्त की जा सकती है।

क्रमांक– एफ.1(ए)09 / पार्ट–4 / संस्था / बीमा / 2023 / 4899-4902 **दिनांक :** 09-10-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त निदेशक(जनसम्पर्क एवं मुख्यालय) राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट / संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट http://sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
3. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ.बी.सी.बधाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Director
Date: 2023.10.09 13:17:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4796056